

16/9/16 वक्तु करी० उपस्थित। वकील वकील उतिवादी संख्या 4,5,6,8,9 व

12 की टालकी के लिए अदायगी टालबाना सम्मन समय पाते हैं।

बाद दर्ज होने बाद के दिनांक 22-10-10 से समय लेते आ रहे

हैं लेकिन 6 वर्ष तक टालबाना सम्मन पेश नहीं किया है

अतः 09 R2 के तहत बाद वादीगण खारिज किया जाता है।

पुनः बाद लाने से बार्ड किया जाता है। मिसर केसल शुमार

होकर नम्बर से कम है बाद दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मसूदा (अजमेर)

